

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक—एफ,11(2)()मो./आई.सी.डी.एस/बजट घो/116/109373-405 जयपुर दिनांक

12.8.18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।


विषय:— प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के सम्बन्ध में।

प्रसंग:— विभाग का पत्रांक 94673-95008 दिनांक 06.10.2015, 106507-844 दिनांक 24.11.15 एवं 103831-104168 दिनांक 03.08.16

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत अब तक हुये मानदेयकर्मियों के नामांकन की वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में 07 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत अब तक हुए मानदेय कर्मियों के नामांकन की हस्ताक्षरित संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में 03 दिवस में वित्तीय सलाहकार के मेल आई.डी cao.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाई जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में आप के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार


(स्मिता सरीन)

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक—एफ,11(2)()मो./आई.सी.डी.एस/बजट घो/116/109406-710, जयपुर दिनांक 12.8.18
प्रतिलिपी

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ (समस्त) को निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार वांछित सूचना संबंधित उप निदेशक कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि उप निदेशक कार्यालय द्वारा अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों की संकलित सूचना निदेशालय को प्रस्तुत की जा सकें।

2. कम्प्यूटर प्रशाखा को वेब-साइट पर अपलोड करने एवं संलग्न प्रपत्र में सूचना दर्ज कराने सम्बंधित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।


वित्तीय सलाहकार

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
एवं अटल पेंशन योजना (APY) के नामांकन की सूचना हेतु निर्धारित प्रपत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	नामांकन		
					PMSBY	PMJJY	APY
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट:- उपर्युक्त योजनाओं में मानदेयकर्मियों के नामांकन की सूचना राजपोषण पर भी दर्ज कराना सुनिश्चित करावे।

हस्ताक्षर मय मोहर